राजस्थान विधान सभा के 'विधान सभा बाल सत्र' में भाषण

- प्यारे बच्चों, आप सबको बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि।

- आज का दिन आप सभी के लिए प्रेरणा का दिन है, नए संकल्प लेने का दिन है। बच्चों से मिलना और उनके साथ संवाद करना मुझे हमेशा से प्रिय रहा है। उमंग, उल्लास और ऊर्जा से भरे इस वातावरण में आप सब लोगों से चर्चा करते हुए आज मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है।

- **हमारे बालक समाज के, देश के उज्ज्वल भविष्य के आधार हैं, हमारे कर्णधार हैं। उनके सम्पूर्ण विकास का मार्ग प्रशस्त करना मात्र हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी ही नहीं है बल्कि हमारा सामाजिक और नैतिक दायित्व भी है।**

- **आप हमारे भावी नीति निर्माता हैं, देश की लोकतान्त्रिक एवं विकास यात्रा को गति देने वाले हैं तथा एक विकसित और समृद्ध देश के निर्माण के लिए कार्य करने वाले हैं। यही कारण है कि हमारा संविधान बालकों के अधिकारों के प्रति इतना सचेत रहा है।**

- **हमारा संविधान एक अत्यंत प्रगतिशील दस्तावेज है, हमारे संविधान निर्माताओं की एक अनुपम देन है। यह देश की लोकतान्त्रिक चेतना एवं आकांक्षाओं का वाहक रहा है।**

- **हमारा संविधान नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों का एक अद्भुत मिश्रण है जिसका उद्देश्य यही रहा है कि सभी नागरिकों को राष्ट्र निर्माण एवं विकास में अपना अधिकतम योगदान करने का उचित अवसर मिल सके।**

- **संवैधानिक व्यवस्था इस प्रकार की रही है कि शासन के तीनों अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की सीमाएं निर्धारित हैं। सभी अंगों से यही अपेक्षा होती है कि वे संवैधानिक दायरे के अंदर रहकर आपसी सामंजस्य की भावना से कार्य करेंगे।**

- **हमारा अभी तक का अनुभव यही रहा है कि सामान्यतः शासन के सभी अंगों ने अपने क्षेत्राधिकार में ही रहकर कार्य किया है। इसी भावना को और सशक्त बनाने की आवश्यकता है।**

मेरे प्रिय युवा साथियों

- **आपने अपनी पुस्तकों में लोकतंत्र की परिभाषा पढ़ी होगी। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। परंतु जनता की इच्छा का मापदंड क्या है? शासन पद्धति में जनता के मत का आकलन करने का क्या System है?**

- आप जानते हैं कि जनता निर्वाचन के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनती है। वे प्रतिनिधि विधानमंडल में अपने मतदाताओं के कल्याण से संबंधित विषयों पर चर्चा संवाद करते हैं, उन्हें कार्यपालिका के समक्ष रखते हैं ताकि उनका त्वरित समाधान किया जा सके।

- **आपने जो अभी 'प्रश्न काल' तथा 'शून्य काल' का संचालन किया, वे कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है।**

- जिस प्रकार आपने अपने महत्वपूर्ण विषयों को उठाया तथा उनपर 'सरकार' का जवाब मांगा, उसी प्रकार संसद में भी तथा राज्यों के विधानमंडलों में भी माननीय सदस्य लोक महत्व के विषय उठाते हैं तथा उन पर सरकार के उत्तर की मांग करते हैं।

- **लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति यही है। कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता की इच्छा सर्वोपरि है।**

- **जनप्रतिनिधि जनता की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं को सदन में व्यक्त करते हैं तथा उनकी कठिनाईओं-समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करते हैं।**

- **प्रश्न काल संसदीय पद्धति का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। यह लोकतंत्र की आत्मा है, एक पारदर्शी जवाबदेह सरकार के निर्माण का माध्यम है। एक घंटे का यह समय कार्यपालिका की जनता के प्रति जवाबदेही, उनके कार्यकरण में पारदर्शिता तथा सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में जनता की भागीदारी के लिए समर्पित है।**

- इसी प्रकार शून्य काल का समय भी लोक महत्व के अविलंबनीय मुद्दों पर केंद्रित होता है। इस संसदीय पद्धति से माननीय सदस्य ज्वलंत मुद्दों को सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाते हैं।

- **शून्य काल हमारे विशिष्ट संसदीय लोकतंत्र का एक नवाचार है क्यूंकी इस काल का उल्लेख संसदीय नियम अथवा प्रक्रियाओं में नहीं मिलता। इसका आरंभ इसलिए किया गया ताकि जनप्रतिनिधि लोक महत्व के विषय तत्काल सदन में उठा सकें।**

- **साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले दो वर्षों में संसद में कई प्रक्रियागत सुधार किए गए हैं ताकि लोक महत्व के विषयों पर और त्वरित कार्रवाई हो सके।**

- **इन सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण है कि सदन में उठाए गए लगभग सभी विषयों पर सरकार के उत्तर अब समय पर प्राप्त हो रहे हैं।**

- अभूतपूर्व रूप से शून्य काल में भी उठाए गए विषयों पर सरकार उत्तर दे रही है जिसे माननीय सांसदों तक शीघ्र पहुंचाया जा रहा है। यह कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच अद्भुत सहयोग का एक उदाहरण है।

- मेरे प्रिय युवा विद्यार्थियों, लोकतंत्र जनता का शासन है। सदन में बहुमत के आधार पर सरकार बनती है, परंतु इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि सदन के अल्पमत को अवसर नहीं दिया जाए। लोकतान्त्रिक प्रणाली की सफलता इसी में है कि सदन में समाज के सभी वर्गों के स्वर आयें, सभी को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिले।

- चूंकि जनप्रतिनिधि सीधे तौर पर जनता से जुड़े होते हैं और उनके अभावों, समस्याओं और कठिनाइयों को निकटता से समझते हैं, इसलिए विधि निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

- जनप्रतिनिधि अपने संवैधानिक दायित्वों को पूर्ण रूप से निभा पाए, अतः, आवश्यक है कि सभा का बहुमूल्य समय व्यवधान और शोरगुल के कारण नष्ट न हो। लोकतंत्र में सरकार न्यासी और विपक्ष प्रहरी की भूमिका निभाती है।

- संसदीय व्यवस्था में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सतत संवाद, सहमति, सहयोग, सहकार, स्वीकार और सम्मान का भाव प्रबल होना ही चाहिए। यही लोकतंत्र की विशेषता है। इसी में संसदीय परंपरा की महिमा और गरिमा है।

- इसलिए विधान मंडलों के अंदर अनुशासन, शालीनता और गरिमा बनाए रखना आवश्यक है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि सदन में जो भी विषय उठाए जा रहे हैं, जो भी कानून बनाये जा रहे हैं, उन पर व्यापक चर्चा हो, संवाद हो और विधायकों की अधिक सक्रिय भागीदारी हो।

- इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सदन में विरोध, मतभेद या असहमति नहीं हो। वास्तव में, विरोध, मतभेद, सहमति-असहमति, तर्क-वितर्क, वाद-विवाद और मत-भिन्नता हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। इनसे हमारा लोकतंत्र और अधिक समृद्ध और जीवंत हुआ है।

- परंतु सभा में वाद-विवाद और विरोध के दौरान एक-दूसरे के प्रति शिष्टाचार, आदर और सम्मान बना रहना चाहिए।

- जनप्रतिनिधियों को सदन के भीतर या बाहर ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो संसदीय लोकतंत्र की कार्यक्षमता और उसकी गरिमा को कम करे।

- सशक्त लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है कि इस प्रणाली में जनता का विश्वास बरकरार रहे। यह तभी हो सकता है जब जनप्रतिनिधि अपने आचरण से आदर्श प्रस्तुत करे जिससे लोकतंत्र के प्रति जनमानस की आस्था बढ़े।

- आपने जिस प्रकार अपने शून्य काल और प्रश्न काल संचालित किया उससे पता चलता है कि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के बारे में आपकी गहरी समझ है। दरअसल हमारी युवा पीढ़ी, जिनके कंधों पर इस देश का भविष्य है, उन्हें लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के साथ साथ संवैधानिक प्रावधानों और आदर्शों के बारे में भी पूरी समझ होनी चाहिए।

- इसी उद्देश्य से पूरे देश में Know Your Constitution (KYC) अभियान चलाया जा रहा है।

- एक सशक्त मजबूत लोकतान्त्रिक राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है जब हमारे नागरिक संविधान के उच्च आदर्शों, मूल्यों के बारे में पूरी तरह जानकार हों।

- आप सभी मेधावी छात्र हैं। आप सभी का उज्ज्वल भविष्य है। मेरा सुझाव होगा कि आप लगातार नई-नई स्किल के लिए अपने आप को तैयार करें। इससे आपकी प्रगति तो होगी ही, देश की भी प्रगति होगी।

- पूरा विश्व अभी कोरोना महामारी के संकट से गुजर रहा है। इस महामारी से सफलतापूर्वक मुकाबला करने में समाज के सभी वर्गों ने सामूहिक भावना से कार्य किया है और सरकार के प्रयासों में अपना सहयोग दिया है। पर इसमें आप की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है। साबुन से 20 सेकेंड हाथ धोना है, ये बात बच्चों ने सबसे पहले पकड़ी। मैं सोशल मीडिया पर आज भी ऐसे कितने वीडियो देखता हूं, जिसमें बच्चे कोरोना से बचने के उपाय बता रहे हैं।

- महामारी से लड़ने के लिए जिस अनुशासन की आवश्यकता है, वह आपमें है। आप इस देश को अनुशासन, अपनत्व, आत्म-नियंत्रण की भावना से नई दिशा दे सकते हैं।

- देश को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प रखने वाले बच्चों की आवश्यकता है।

- आज पूरा देश युवाओं के साथ है, युवा हौंसलों, युवा सपनों के साथ है। हमारे युवाओं में असीम प्रतिभा और ऊर्जा है। इस प्रतिभा और ऊर्जा का समुचित विकास और उपयोग किए जाने की जरूरत है। इस दिशा में प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं और इन प्रयासों के परिणाम भी सामने आने लगे हैं।

- आपकी सफलता, सशक्त, सक्षम और समृद्ध भारत के संकल्प को भी सिद्ध करेगी। आप अपने लक्ष्यों में सफल हों, अपने जीवन में सफल हों।

आप लोगों की सफलता की कामना करते हुए, मैं पुनः आप सभी को बधाई देता हूँ, आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।